



झारखण्ड JHARKHAND

NOTARY  
DHANBAD

B 697638

### विकास एकरामनामा

यह विकास एकरामनामा दिनांक ५/२/१७ को बना और निष्पादन के दीर्घ (१) श्री एकलाल महातो, (२). श्री अजून महातो, (३). श्री नकुल महातो, (४). श्री देव महातो, सभी का पिता रघु रघुनाथ महातो, (५). श्रीमति बुगली देवी, पति रघु निष्पादन महातो, (६). श्रीमति शास्ति देवी पति रघु संतोष महातो, सभी का जाति तेली, पेशा व्यवसाय आदि साक्षिम तेलीपांडा, हिरापुर धनबाद, लाकधार धनबाद, थाना एवं जिला— धनबाद, राज्य झारखण्ड। यही सम्मानित गांधिक कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत उनके उत्तराधिकारी निष्पादक और समनुदेशिती तब तक सामिल न जायेंगे तब तक कि उनके विषय दस्तूर या अधीक के विरुद्ध न हो, प्रथम पक्ष कहलाता है।

मेसर्स मॉ कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपर एक भारीदारी फर्म है (१). श्री कृष्णभूषण कुमार पिला रघु रघु भूषण प्रसाद, जाति सोनार, पेशा व्यवसाय साक्षिम जै०सी० मार्गितक दोड, प्रीत विहार कॉलोनी, हिरापुर, लाकधार, थाना एवं जिला धनबाद, (झारखण्ड), (२). श्री अनिल कुमार सिंह, पिता श्री बाके सिंह, जाति सोनार, पेशा व्यवसाय साक्षिम लास्टर कॉलोनी श्री०एम०पी० रोड, गोविन्दपुर, लाकधार एवं थाना गोविन्दपुर, जिला धनबाद, (झारखण्ड), यही विकासकर्ता कहलाता है, जिस पद के अन्तर्गत उनके उत्तराधिकारी निष्पादक और समनुदेशिती तब तक सामिल न जायेंगे जबतक कि उनके विषय दस्तूर या अधीक के विरुद्ध न हो, दिलीय पक्ष कहलाता है।




- (d) यह है कि, उक्त जमीन पर जब कार्यकाल में किसी भी प्रकार का विभागीय सूचना मिल सकती है न तो गजट द्वारा विभाग से उक्त भूमि का स्वामित्व या मालिकाना हक छिना जा सकता है न ही अश्वन सिलिंग अधिनियम के तहत कोई भी प्रकार का सूचना दी जा सकती है मालिक उक्त जमीन पर अपना विकास हेतु कार्य कर सकता है।
- (e) यह है कि धनबाद नगर निगम से भूमि अधिग्रहण के लिए किसी भी प्रकार की सूचना दी जा सकती है या उसके समकक्ष विभाग द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है या न तो सम्बंधित विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा सकती है।
- (f) यह है कि उक्त जमीन पर किसी आयकर, राजस्व विभाग या सरकार के अन्य विभागों द्वारा भूमि अधिग्रहण की सूचना बनाये जा सकते हैं जो या तो उक्त भूमि पर या उसके किसी अंश पर लागू हो सके।
- (g) यह है कि उक्त भूमि पर वर्तमान या इसके पूर्व कोई निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा जो दावा, डीक्रीज, रोक, अवैधता का सूचना आवेदन या विपरित नियम पारित किया गया है, या इसके किसी भी अंश पर के लिए पूर्व में सूचना दी गई है।
- (h) यह है कि उक्त भूमि के किसी भी अंश पर किसी अन्यत्र का अधिकार नहीं है या किसी भागीदारी या सह भागीदार के उक्त भूमि पर किसी के साथ दस्तावेज बनाया गया हो जो इसके या इनके किसी परिवार के साथ किसी संस्था के लिए भूमि दी गई हो, नहीं इसके देख-रेख के लिए किसी के साथ मदद स्वरूप अनुदान प्राप्त किया गया है।
- (i) यह है कि उक्ते भू-स्वामियों द्वारा पूर्व में या वर्तमान में किसी भी प्रकार का एकरासनामा संम्पादन किया गया है जो इनके या इनके किसी भी परिवार या वारिसान से मुक्त है न तो किसी समझौता पत्र का निष्पादन किया गया है।

और जबकि उक्त भूमि हेतु विकासकर्ता के पास अपनी उक्त भूमि के विकास हेतु सम्पर्क किया जिस पर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा सके जो आवासीय हो इसी कार्य हेतु उक्त मालिक विकासकर्ता को उक्त बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण हेतु अपना किमत उक्त भूमि के बदले 35 प्रतिशत सुपर विल्टप एरिया जमीन मालिक को दिया जायेगा जो कि जिसका विवरण तफशील वर्णित संचिका-ए में वर्णित किया गया और संचिका-वी में दर्शाया गया जो कि जमीन मालिक का एरिया है। कि शेष 65 प्रतिशत सुपर विल्टप एरिया विकासकर्ता को प्राप्त होगी। विकासकर्ता द्वारा दी गयी रूपया 20,00,000/- (वीस लाख रूपया) मात्र भू-स्वामियों को प्रदान की जायेगें।

*Signature Identical*  
4/2/19





  
 जब कि उपरोक्त मालिक अपने कब्जा या दखल भोग के स्वामित्व प्रदान कर जो पूर्णरूप से भू-अंश या उनके जमीन जिसका कुल रकवा करीब 18 कहड़ा 21 वर्गफिट (यानि 29.80 डिंडो) या 12981 वर्गफिट जो अवस्थित सर्वे मौजा हीरापुर, थाना नं०:-०७, थाना:- धनबाद, जिला:- धनबाद झारखण्ड जो धनबाद नगरपालिका के अन्तर्गत धनबाद जिला सह निवंधन कार्यालय सदर जो पूर्ण रूपेण संचिका-अ में वर्णित है जो मूलतः उपरोक्त भूमि विकास एकरारनामा का भाग कहा जाता है।

और जबकि— यह पुनः निरूप्त और घोषित भूस्वामियों द्वारा किया गया है कि उपरोक्त जमीन भू-स्वामियों द्वारा सह निवंधन कार्यालय द्वारा प्राप्त विक्रय मूल दस्तावेज से प्राप्त कर अपना स्वामित्व ग्रहण किया जिसका निवंधन सह निवंधन कार्यालय धनबाद के वर्ष 1932 सर्वे सेटलमेन्ट में हुई जिसका निवंधन संख्या लिखित रूप से संचिका-“अ” में वर्णित है।

और जबकि उपरोक्त भू-स्वामियों ने अपना—अपना नाम सरकार के (वही-II) में सरकार को भूमि के उपरान्त कर अदा कर अपना—अपना मालिकाना हक झारखण्ड के अंचल कार्यालय धनबाद से प्राप्त किया और उसके तदोपरान्त उक्त जमीन पर कब्जा दखल भोग वास्तविक मालिकाना के रूप में पाया।

और जबकि — मालिक पुनः घोषणा करता है :-

- (a) यह है कि उपरोक्त जमीन का करीब 18 कहड़ा वर्गफिट (यानि 29.80 डिंडो) या 12981 वर्गफिट क्षेत्रफल है।
- (b) यह है कि, जमीन सभी प्रतिवर्षों से मुक्त और वास्तविक स्वामित्व प्राप्त है और पेश्तैनिक से उस पर मालिकाना हक प्राप्त है जो सभी प्रकार के दावों से मुक्त है।
- (c) यह है कि, उक्त जमीन उसके खास दखल कब्जे में है जिसपर उनका अधिकार, दावा, रूचि सभी प्रकार के दावा—दावी से मुक्त है। न किसी भी प्रकार दायित्व दावा और समावेशित किसी प्रकार का है और जो बाजार शर्तों पर मालिक का स्वामित्व प्राप्त है। उक्त जमीन पर किसी अन्य का दावा—दावी से परे है। उक्त भूमि पर मालिक विक्रय बंधक, आदान—प्रदान या भाड़े संरक्षा को या अनुदान निवंधन कर के दखल दे सकता है। मालिक को इसे करने पर पूर्णरूप से आजादी प्राप्त है।




(4)

विकासकर्ता	जिमिटि	दोषों पर	पूर्ण भवन
Ajiwan Patel	10/10/2018	दोषों पर	11/10/2018

जो भवन निर्माण में समाहित की जायेगी जो भू-स्वामियों के पहुंचों में समाहित विकासकर्ता के पहा में होगी। यदि उक्त भूमि छोटानागपुर कास्तकारी जिलेनियम के द्वायरे में आता है तो वैसी परिस्थितियों में उक्त आदयगी अग्रीम रकम विकासकर्ता भूस्वामियों को अन्तिम निर्णय मान कर उसका वास्तविक अंशों से देकर मुक्त करेंगे जिसपर उनका पूर्ण दावा, अधिकार या स्वयंत्र बना रहेगा और भवन निर्माण विकासकर्ता द्वारा कि विकसित भवन कहलायेगा जो क्रेता के हित में वास्तविक या प्रभावशाली माना जायेगा। 35 प्रतिशत का सुपर बिल्टपर एरिया जमीन मालिक को विकासकर्ता द्वारा दिया जायेगा यह नियम हर उल्लेख पर किया जायेगा। विकासकर्ता को अधिकार होगा कि उक्त जमीन के मालिकों को दिये गये अधिक 20,00,000/- (बीस लाख) रुपया नगद को वापसी में पूर्ण 20,00,000/- (बीस लाख) रुपया नगद इस राशि को अनुबंध हस्ताक्षर होने के एक साल के अन्दर अमल में लाना होगा और जमीन मालिक को ये अधिकार होगा कि राशि वापसी के समय (या तो नगद या निर्मित हिस्से को विक्रय कर) विकासकर्ता को इसका लिखित प्रमाण ले सकता है। उनके हिस्से के निर्माण को विक्रय कर या उतना मूल्य का निर्मित भवन अपने कब्जे में लेकर उसे विक्रय कर सकता है। एवं इस प्रक्रिया में जमीन मालिक पूर्ण रूप में विकासकर्ता को हर तरह से खासकर कानूनी रूप से सहयोग करेंगे। जमीन मालिक को भुगतान का उल्लेख इस प्रकार है।

और जबकि निश्चित शर्त व नियमावली भू-स्वामि और विकासकर्ता के बीच सहमति बनी और भू-स्वामि ने विकासकर्ता को अपने उक्त जमीन पर बहुमिला भवन, दुकान, कार्यालय, गाड़ी खड़ा करने का जगह इत्यादी बातों को लेकर अपना सहमति प्रदान करने का जगर इत्यादि बातों को लेकर अपना सहमति प्रदान कर दी जिस पर विकासकर्ता राजी या रजामद हुए। उपरोक्त प्लॉट के एकासरनामा के प्रथम पक्ष के सभी सम्बलित जमीन मालिकों के सभी व्यरक पुत्रों एवं पुत्रियों (विवाहित या अविवाहित) द्वारा इस एकासरनामा के किसी भी पहलू पर कोई आपत्ति नहीं है एवं उनलोगों द्वारा निर्माण अवधि के दरम्यान किसी भी तरह खास कर परिवारिक संभवति के बंटवारे एवं इस प्लॉट के उपर भवन निर्माण की हिस्सेदारी में कोई विच्छ, मुकदमा विकासकर्ता पर नहीं करेंगे। उनके अपने परिवार के अंदर अगर किसी भी बात पर आपसी अनवन हो तो उसका दुष्प्रभाव इस निर्माण कार्य पर पड़ने नहीं देंगे।

अब इस विकास हेतु गवाहों के समझ दोनों पक्षों ने राजी हुए और दोनों के बीच निम्न प्रकार की घोषणा इनी :-





(5)

पूर्ण	वर्णन	पूर्ण	वर्णन	पूर्ण	वर्णन
पूर्ण	वर्णन	पूर्ण	वर्णन	पूर्ण	वर्णन

1. उपरोक्त भूस्वामी ने विकासकर्ता को अपने उक्त भूमि के विकास हेतु बहाल किया जो विकासकर्ता ने सहर्ष स्वीकारोवित जाहिर किये। और विकासकर्ता ने भूस्वामी से अपना अधिकार दायित्व, और निवंधन हेतु उक्त भूमि के विकास के लिए पूर्णतः सक्षम पदाधिकारी से अनुमति के लिए कारगर उपाय बनायेंगे जो संचिका— “ए” में पूर्ण वर्णित है जिसका लिखित नियम व शर्तों का उल्लेख किया गया है जो निर्धारित है जो निम्नरूप से उल्लेखित किया गया है।
2. भू—स्वामी का यह पूर्णतः अधिकार बनता है कि विकासकर्ता के हतों में विकास एकरारनामा का निष्पादन करे एवं उक्त भूखण्ड पर विकास हेतु प्राथमिक रूप से कार्य हेतु जो निर्माण वहुमंजिला भवन, दुकान, कार्यालय, फ्लैट, गाड़ी खड़ा करने के लिए उपयुक्त जगह इत्यादि का निर्माण कार्य करें और उक्त भूखण्ड में किसी अंश को क्रेता के लिए एकरारनामा बना सके या उसे बिक्री कर सके जो भूस्वामियों का खास क्षेत्र हो।
3. भूस्वामियों अनुबंधित हस्तानान्तर या स्वीकृति पत्र विकासकर्ता के हितों में उक्त भूमि के विकास हेतु या उसके अनुयायियों को प्रदान कर सकता है साथ ही उस पर सहकारी भवन निर्माण, संस्था या निर्माण हेतु कार्य सम्पादन जो भूमि सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त है पर अपना अधिकार रुचि या अंश दखल उक्त भूमि के लिए स्वीकृत है जो करीब 18 कट्टा 21 वर्गफिट (यानि 29.80 डी०) या 12981 वर्गफिट जिसका पूर्ण वर्णन संचिका— ए में किया गया है। (सुपर निर्मित क्षेत्र में सेवा क्षेत्र स्टेयर सहित कोरीडोर लिफ्ट, डाक्टस, जमीन भराव क्षेत्र या रथगन) नियमित पूर्ण निर्मित भूस्वामियों को खास तौर पर दखल प्रदान करना जो क्षेत्र प्रदान की जायेगी वह निम्न नियम व शर्तों पर आधारित यह वर्णित है।
4. विकासकर्ता भूस्वामियों से खाली शाति दखल कब्जा के उपरान्त वह अपने निर्माण कार्य हेतु व्यय करेगा और भवन निर्माण होते योजना तो तैयार कर खनीज क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्यालय के समक्ष नक्सा हेतु आवेदन सुपूर्द करेगा स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर नक्से के मुताबिक विकासकर्ता उक्त भूमि पर विकास हेतु कार्य प्रारम्भ करें। कार्य समाप्त होने के बाद विकासकर्ता 29.80 डी० सुपर बिल्टप एसिया प्रतिकट्टा करीब 18 कट्टा 21 वर्गफिट (यानि 29.80 डी०) या 12981 वर्गफिट में 35 प्रतिशत अंश जमीन मातिक या उसका उत्तराधिकारी का होगा और 65 प्रतिशत अंश विकासकर्ता का या उसका उत्तराधिकारी का होगा।
5. विकासकर्ता का यह अधिकार दायित्व होगा कि उक्त भूमि पर उपयुक्त दुकान, कार्यालय, फ्लैट, पार्किंग जगह और अन्य उपयोगी निर्माण कर कम्पलेक्स क्रेता के लिए तैयार करें।



14. उपरोक्त नियम व शर्त के मूलाधिक विकासकर्ता जब सम्पादन जौ लिया जाता है तब विकासकर्ता के विवेक और उक्ता के अनुसव्य होती और भूस्थामियों के विकासकर्ता के अनुमति से शहकारी अद्यन निर्माण समिति के हितों में या उन्होंने सम्मत कराया जाता रामड़ा जौ विकासकर्ता के पक्ष में या संबंधित कागजात विविधत रूप में जैसा जैसा उक्त रामड़ा जौ विकासकर्ता के पक्ष में या उनके संबंधित या मनोनिम व्यक्ति के पक्ष में उक्त भूखण्ड के एवज में सम्पादन कर देना होगा।

15. यास और पर भवन निर्माण के उपरान्त भूस्थामियों द्वारा ही यारी भूखण्ड भूस्थामियों द्वारा आवश्यक कागजात को सम्पादन कर जो इंता के परीट के पक्ष में या हितों में उसके पूर्ण अधिकार रखि या दखल प्राप्त हो यो उसके अंशर गिर सके।

16. भूस्थामियों ने यारी बाली व शर्ती को पक्ष व समझ कर राजी हुए और अपने-अपने विभागी के विकास एकत्रणामा बना दिया जिसका सम्पादन की यारी और साथ ही उसे यह भी स्वयंदाता ता प्राप्त अधिकार भी प्रदान की यारी कि विकासकर्ता या उसके मनोनिम सदस्य पर भूस्थामियों के किसी भी उत्तरिक्षण द्वारा निर्माण कराये में बाधा न उत्पन्न हो और यह अधिकार उसे उक्त भूखण्ड पर यारी इंतों से युक्त कर प्रदान की यारी कि यदि आवश्यकता पड़े तो किसी भी दृष्टिकृति को स्वतंत्र रूप से निर्मित भवन का अधिकार हस्तान्तरण कर सके। साथ ही उक्त परीट के ऐवज में किसी भी आधिक से ज्ञान प्राप्त कर सके। और भूस्थामियों ने सही पाकर अपना-अपना हस्तान्तर बनाने की लिए इस विकाशित एकत्रणामा पर राजी हुए। जिससे उक्त भूखण्ड पर अपना विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा सम्पन्न हो।

17. यह है कि भूस्थामी विकासकर्ता के या उसके अधिकृत अधिकारकों की वालाधिक अधिकार मूल दस्तावेज या कागजात जो इससे संबंधित है प्रदान करेगा जिसका जीव भूतक्षम से कर सके। और भूस्थामी उस परिक्षण हेतु सभी प्रकार की सहायता या सहायाच प्रदान करेंगे। साथ ही साथ संबंधित ऐपर के शहकारी में उचित राय जो बाजार मूल व आधारित है करेंगे एवं उसका हक भी प्रदान करेंगे जो मूल प्रति हानी और विकासकर्ता को विकास हेतु उक्त भूमि पर काम आ सके।

18. भूस्थामी यह भी बादा करता है कि उक्त भूमि के विकासकर्ता के देने के उपरान्त किसी अन्यत्र के उक्त भूमि को किसी प्रकार प्राप्तादित करते का बादा नहीं करेंगे। केवल उक्त भूमि पर विकासकर्ता के लिए जो शाति दखल देने के बाद जो इस एकत्रणामा के अनुसव्य होती जो विकासकर्ता और भूस्थामियों के बीच लिया गया है। जैसा कि उपरोक्त में वर्णित शहकारिता निर्माण एवं सम्बद्ध या उससे संबंधित सम्बद्ध से किया गया है। उसके द्वारा केवल उक्त भूमि पर निर्माण कार्य स्वरूप किया गया है।



(7)


प्र	नि	र्तु	म
प्र	नि	र्तु	म
प्र	नि	र्तु	म
प्र	नि	र्तु	म
प्र	नि	र्तु	म

जो खनन विकास प्राधिकार विभाग या संबंधित सक्षम विभाग से पारित हेतु आवेदन बन सकता है साथ ही उसे घोषणा पत्र, शपथ-पत्र या कोई अन्य वास्तविक कार्य हेतु कागजात नक्सा हेतु उपस्थित या दाखिल कर सकता है जिसे उसके विकास हेतु सुधारोवित पत्र प्रदान हो सके।

- (III). विकासकर्ता किसी तकनिकी व्यक्ति, अभियंता या निर्माण कर्ता को भी बहाल कर सकता है।
  - (III). विकासकर्ता सक्षम विभाग को उर्ज सम्बंध प्राप्ति हेतु या अनुमति सिमेन्ट, छड स्टील इत्यादी पदार्थ के लिए अनुशासनि प्रदान कर सकता है।
  - (IV). किसी दस्तावेज, एकरारनामा, विक्री हेतु किसी स्थाई दुकान कार्यालय, फ्लैट, पार्किंग जगह जो भवन निर्माण हेतु कार्य के अनुरूप हो खरीद विक्री या निर्माण कर सकता है।
  - (V). किसी भी बैंक से या आर्थिक संस्था से ऋण हेतु जो भवन निर्माण, के हितो में हो। जमीन बंधक, फ्लैट बंधक उस निर्माण भवन हेतु आवेदित इन्फाटेक जिम्मेवार होंगे।
  - (VI). विकासकर्ता द्वारा उक्त जमीन के क्षेत्र या भाग हस्तानान्तरण किया जायेगा जो एक या उससे अधिक के लिए फार्म, संस्था या कोई सहकारी समिति, ऐजेन्सी या सहकारी संस्था के व्यक्ति के लिए निर्माण हेतु बनाया या खरीदा जा सके वह क्रेता इसी इमारत के फ्लैट के लिए प्रयुक्त होगी।
  - (VII). मालिकाना आधार या कोई अन्य अधिकार आधार पर दुकान, कार्यालय, फ्लैट पार्किंग जगह और अन्य उपयोगी क्षेत्र, उस विकासकर्ता के क्षेत्र जो भवन में हो उक्त भू-भाग पर निर्माण हेतु कोई भी उचित विक्रय मूल्य प्राप्त कर सकता है, अपने खाते में।
  - (VIII). और अन्य कार्य उक्त भूमि पर विकास हेतु कर सकते हैं।
12. यह भी बिना पावड़ी या दबाव के भूस्वामी राजी एवं घोषणा करता है कि निर्मित दखल भस्वामियों को कारण चार में वर्णित सविधाएं प्राप्त की जायेगी जैसा कि उपरोक्त में है जो साफ सुथरे तौर पर उचित पाकर उक्त भूमि को हस्तानान्तरण हो सके जो विकासकर्ता को भूस्वामी द्वारा या उनके मनोनित सदस्य द्वारा प्राप्त हो।
13. जब कभी, विकासकर्ता को जरूरत हो तो भूस्वामियों द्वारा मनोनित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं, कोई दस्तावेज एकरारनाम विक्रय हेतु विकासकर्ता सामिल कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति को जो निर्मित भवन या उसके कोई अश भाग उक्त भवन में स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, सभी प्रकार की राशि एकरारनामा के समय फ्लैट इत्यादी का मूल्य विकासकर्ता द्वारा प्राप्त किया जा सके।



(10)



राम मिश्र

जहांगीरगढ़

26. यह भी राजी किया गया कि जो वर्तमान से सम्पादन किया जायेगा उसपर विकासकर्ता का अधिकार होगा कि वह अपना उचित विकास के लिए मार्क चिन्ह संबंधित नवशा अपने आवश्यकतानुसार चिपका सकते हैं।
27. यह भी सहमति बनी कि सभी प्रकार के हस्तानान्तरण जो जमीन निर्मित क्षेत्र का हो क्रेता या हस्तानान्तरण कर्ता अपना—अपना गैर-न्यायिक कर और अन्य संबंधित खर्च क्रेता को स्वयं वहन करना होगा।
28. भू-स्वामियों का यह वाध्यता होगी कि उनका मूल दस्तावेज या दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर बना कर उसके पक्ष में भू-हस्तानान्तरण विकासकर्ता के पक्ष में और उनके मनोनित सदस्य उत्तराधिकारी और अन्य सदस्यों जो विकासकर्ता के खास व्यक्ति होकर देना होगा। निर्मित भवन निर्माण कार्य समाप्ति खर्च अंश या दखल प्रदत्त की जायेगी।
29. यह कि, किसी कारणवश कोई विवाद या अन्तराल उत्पन्न होती है तो दोनों पक्षों के बीच ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा उचित सलाहकार के निर्णय से मान्य होगी जैसा कि भारतीय निर्णयकर्ता स्थगन अधिनियम 1996 में सुधार समय—समय पर किया गया है से ही लागू होगी।
30. अग्रीम राशी भूस्वामी जो ले गें, समय पर काम अगर नहीं होता है तो, वह राशी वापस नहीं होगी। अथवा उस पर भूस्वामी कानूनी कारवाई करेंगे। एवं जो समय दी गई है उस समय पर काम नहीं हुआ तो राशी भी वापस नहीं होगी और कानूनी कारवाई होगी, और गैरेज, पार्किंग सभी में 35 प्रतिशत हिस्सा भूस्वामी को देना होगा।

#### उपरोक्त वर्णित संचिका से

सभी भू-खण्ड के टुकड़े मापित कुल रकवा करीब 18 कहा 21 वर्गफिट (यानि 29.80 डिंडो) या 12981 वर्गफिट जैसा निम्न में वर्णित किया गया है जो सर्वे मौजा हीरापुर, थाना नं0:-07, प्लॉट सं0:-1725, खाता सं0:-37 खतियानी जमीन जो पुराना रैयत स्व0 मंगरु महतो, साकिम :— हीरापुर, धनबाद नया रैयत, (1) श्री टेकलाल महतो (2), अर्जून महतो (3), नकुल महतो (4), देवू महतो सभी पुत्र स्व0 रघुनाथ महतो और (5), निरंजन महतो पिता स्व0 शंकर महतो (6), शान्ति देवी पति स्व0 संतोष महतो, सभी धर्म :— हिन्दू, जाति :— तेली, साकिन :— तेलीपाड़ा, हीरापुर, धनबाद, पो0 :— धनबाद थाना व जिला :— धनबाद, राज्य :— (झारखण्ड) में नगर निगम और जिला के अन्तर्गत सह निबंधन कार्यालय धनबाद जिसकी चौहड़ी इस प्रकार है :—

उत्तर :— प्लॉट नं0:- 1726 का अंश।

दक्षिण :— प्रस्ताविक सड़क

पूरब :— 20 फिट प्रस्ताविक सड़क।

पश्चिम :— प्लॉट नं:- 1725 का अंश।


(9)

- अगर किसी कारबाहा उक्त एकसार मूमि जो विकासकर्ता के पाल में किया गया हो बताया या किसी भी प्रकार या अवधान उत्पन्न होती है तो ऐसी अवधा में भूमियि आपने मूल्य अदा कर विकासकर्ता के पाल में चुनूद कर देंगे।
- विकासकर्ता उक्त देव भूमि को अपने नाम से अपने अभियान के मुताबिक कर्म जिसका साथे वहन विकासकर्ता को सवार करना होगा।
- साथी वाले जो उक्त जमीन से संबंधित है उससे दखल जो विकासकर्ता के लिये से ही माल्य होती जो विकासकर्ता के विकास हेतु उत्पन्न होती है। विकासकर्ता वाले जाय कोई कठिनाईयों का सामना नहीं करेंगे जो पूर्ण में उक्त जमीन से संबंधित हो। इस उत्पन्न की पूर्ण जब भू-स्थानीय विकासकर्ता को भूखण्ड देय कि लिये को पूर्ण उत्पन्न विकासकर्ता के बाल भूमियों की होगी।
- भूमियों का कोई आपति नहीं माला जायेगा जब विकासकर्ता अपना दौजना नक्शा दाखिल कर देंगे जो भूमियों के नमा से खान विकास प्राधिकार विभाग या अन्य स्थानीय वहायिकारी जो योजना नक्शा पारित करता हो या अनुभवि या प्रस्ताव प्रवाल करता हो। भू-स्थानीय विना कारण अपना-अपना उत्पादक बनाने के लिए जो संबंधित कामजाती के लिए उस पर की जाती हो या उसके उद्देश्यों के लिए किया जाता है, उनी हुए।
- यह एकसारनामा सदा के लिए नियमित भागीदारी कोई अन्य सुलभ आदि के लिए पहले की बाय नहीं होती।
- यह कि भू-स्थानीय अपना स्वामित्व उसी क्षेत्र के लिए घमायी जनेंगे जो जाते या नियमावधी क्रेता के साथ ही जायेंगी। भू-स्थानीय और क्रेता विकासकर्ता का जी क्षेत्र उसके प्रतिस्थित अभिवल्ता, मनोनियत व्यक्ति नौकर या अनुज्ञाति घासियों को उक्त नियम व जाती के अनुसार जो एकनामामा या उसके कृत अधिनियम हो उसमें भू-स्थानीयों प्रभाव नहिं होंगे जो भूमि विकासकर्ता के विकासकर्ता के क्रेता खालीदेंगे उस पर क्रेता अभिवल्ता का ही नियम व जाती के मुताबिक पालन करेंगे। जो नियमित भवन के हित में हो।
- भू-स्थानीयों ने यह सहमति की उक्त विकासकर्ता द्वारा उक्त भूमि पर यदि किसी नामामा विभाग या स्थानीय विभाग द्वारा कर ली जाती है जो उक्त भूमि विकास हेतु आवश्यक है ऐसी पारिस्थिति में विकासकर्ता एवं भू-स्थानीयों अपने उत्तेज असी द्वारा भूमियान करेंगे जैसा दोनों के बीच निर्णय लिया जाय, मान्य होगा या जो हिस्सा देनदार होगा दोनों द्वारा का आपसी सहमति से प्रदान करनी होगी।



(11)

अपार्टमेंट के लिए सामान्य नमूना



1. बनावट :- आर०सी०सी० निर्मित बनावट 5 इच कार्य और सिमेंट मोरटर जैसार कि मुख्य नमूना किस्मों का बनावट से सम्बद्धित है।
2. दरवाजा — एक दरवाजा छोंचा (धौखट) कड़ा लकड़ी का B-30/32mm मोटा पलशा दरवाजा जो कोट रंग किया हुआ, साइन्थेटिक इनामेल पेन्ट से उपर प्राईमर कोट से।
3. खिड़की :- पूर्ण रूपेण अलुमूनियम गेज।
4. सतहीकरण:- सम्पूर्ण क्षेत्र में भेट्री फाईड मारबल किया हुआ जो स्टेचर और कोरीडोर सम्बद्धित।
5. रसोई :- (a). सिरामिक टाईल्स से सतहीकृत।  
(b). कार्य क्षेत्र में हरा मार्बल (संगमरमर)।  
(c). डाढ़ो — 18 इच उँची सिरामिक टाईल्स जो उपर कार्य क्षेत्र हो। सम्पूर्ण बाथरूम एवं किचन में नल एवं डाइनिंग में नल वेसिन एवं अन्य प्रकार की सुविधा हो।  
(d). सिंक — स्टील सिंक।
6. स्नान गृह— (a). सिरामिक टाईल्स से सतहीकृत।  
(b). डाढ़ो सिरामिक टाईल्स से 5 इच उँची सतह।  
(c). सनाटरी वेय-उजला, घमकिला विभिन्न सनीटरी वेयर (हिन्द वेयर/पैरी वेयरओर.....)  
(d). सिस्टकरण—एकलिक/फाईवर भ्लाश सिस्टरण जो उजले रंग का।  
(e). फिटिंग्स— क्रोमियम पेण्टेड सीपी पोलिश से।
7. ऊर्जाकृत:- (a). सभी आन्तरिक आवरिंग जो ताम्बा का कण्डकटर व्हृ हो पी०भी०सी० छिपा कण्डकट।  
(b). एक टी०पी० पाईन्ट और एक टेलीफोन पलग पोइन्ट दिया हुआ प्रत्येक पलैट के ड्राईंग कमरे में।  
(c). सभी स्टैण्डरड बना स्वीच पंखा एवं अन्य निर्मित समान।  
(d). मार उठाने हेतु पावर प्वाइन्ट सॉकेट आउटलेट सभी फ्लैट में उपलब्ध।



5/2/19  
5/2/19

- (e). समान्य क्षेत्र में जेनरेटर की व्यवस्था पानी उपर ले जाने के लिए जम पम्प। बाथरूम में सभी अच्छे क्वालिटी के सामग्री होंगी।
8. आन्तरिक दिवार:- सम्पूर्ण रूप से सभी आन्तरिक दिवार गोपो द्वारा बना हुआ।
9. बाहरी दिवार बना हुआ:- सभी बाहरी दिवार स्नो सेम से पेन्ट किया हुआ।
10. लिफ्ट :- छः यात्रि एक साथ घड़ या उतर सकते हैं।
11. गरम पानी की व्यवस्था :- गरम पानी सावर, बाथरूम में फिटिंग।
12. जल सप्लाई:- 24 घण्टे प्रवाहित जल सप्लाई व्यवस्था जो गहरे बोरिंग ट्रुयबेल से किया जायेगा।
13. लिफ्ट :- जो स्टेन्डर साईज की तथा अच्छा क्वालिटी हो।
14. पार्किंग :- एक पलैट के लिए एक पार्क, अतिरिक्त खर्च पर।
15. विद्युतिकरण:- ऊर्जा हेतु निजी ट्रान्सफर्मर जो अपार्टमेंट का हो।
16. जेनरेटर :- जेनरेटर लगा हुआ जो कार्यरत है।

गवाहों का हस्ताक्षर :-

1. Kumar Purushottam

*Shri - Purnawand Singh  
Patel Nagari, Road No. 1  
House - 41 Patna  
Dated 01/02/2019*

स्वर्ग श्री. निरंबन माई

1. नीलम टेवी

पति - 20 श्रीषिंह महले  
बिलिपाड़ा धनबाद

भूस्वामी का हस्ताक्षर

दत्त महानी

Arium Mall  
नाल महानी

कमानी


कुण्डली

श्री तूंवी

विकासकर्ता का हस्ताक्षर

कर्णभूषण शुभार

Raj Kumar Singh



Authorised

u/s 297 (i) (c) of the Cr. P.C. 1973  
(Act No 11 of 1974) & u/s (8) (i)  
of the Notaries Act 1952  
(Act No 53 of 1952)

4/2/19  
4/2/19